राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2 सैक्टर – 17
पंचकूला, हरियाणा – 134109

Website:www.secharyana.gov.in **Phone: +91172 2584810**
Email id:sec@hry.nic.in **Fax : +91 172 258 5904**

क्रमांकः– रा0नि0आ0/1एम0ई0/2025/5112 दिनांकः– 03.06.2025

सेवा में

उपायुक्त,
सिरसा ।

विषयः– **नगरपालिका, कालांवाली आम–चुनाव – मतदान केन्द्रों की स्थापना बारे।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के संर्दभ में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आपके जिले नगरपालिका, कालांवाली के आम–चुनाव दिनांक 29.06.2025 को होने निश्चित हुये है ।

2. इस संदर्भ में आपका ध्यान हरियाणा नगर निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 34 (1) की ओर आकर्षित किया जाता है, इस नियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रों की स्थापना की जानी है। रिटरनिंग अधिकारी के प्रयोगार्थ जारी हैंड बुक में, मतदान केन्द्रों की स्थापना बारे विस्तृत विधि दी गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित रिटरनिंग अधिकारी को आम–चुनावों के लिए आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रों की स्थापना तुरन्त करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाएं तथा स्थापित किए गए मतदान केन्द्रों की सूची आपके माध्यम से भेजते हुए आयोग से इस बारे अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

3. मुझे यह भी अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि स्थापित किये जाने वाले मतदान केन्द्र जहॉ तक सम्भव हो, केवल सरकारी भवनों में ही स्थापित किये जायें **[कोई भी मतदान केन्द किसी भी अस्पताल व जच्चा बच्चा केन्द्र (डिलीवरी सैन्टर) में या उसके आस पास स्थापित न किया जाये]**। यदि किसी कारणवश ऐसा किया जाना संम्भव न हो, और किसी प्राईवेट भवन/धर्मशाला में मतदान केन्द्र स्थापित किया जाना आवश्यक हो, तो उस स्थिति में, उस प्राईवेट भवन/धर्मशाला के मालिक से इस बारे लिखित रूप में सहमति प्राप्त कर ली जाए और यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार अथवा उसके रिश्तेदार का उस भवन या संस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

भवदीय,

अधीक्षक/ई–III,
कृते राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा